भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1224

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**अदालतों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम**

**+1224. डा. सत्यनारायण जटिया :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की हिन्दी राजभाषा परामर्श- दात्री समिति की विगत बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा घोषित वार्षिक कार्यक्रम के दिनांक-वार कार्यान्वयन की मद-वार उपलब्धियों की जानकारी क्या है ; और

(ख) मंत्रालय के द्वारा विधि एवं न्याय के क्षेत्र में राजभाषा के हिन्दी भाषी ‘क’ क्षेत्रों के लिए न्यायालयों में न्याय निर्णयन तथा विधि और न्याय अनुभाग में अपीलीय न्यायालयों में ‘हिन्दी’ राजभाषा के वर्तमान में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** मंत्रालय में हिंदी राजभाषा सलाहकार समिति के नाम से कोई समिति नहीं है । तथापि, यहां एक समिति है जिसे “हिंदी सलाहकार समिति” कहा जाता है । समिति की अंतिम बैठक में, द्विभाषीय वैबसाइट तैयार करने के मामले, विधेयकों के मूल रुप से हिंदी में प्रारुपण के मामले, भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय के रजिस्‍ट्रार कार्यालय में राजभाषा का प्रयोग, हिंदी प्रकाशनों को समय पर तैयार करने, गैर हिंदी भाषी राज्‍यों में और अधिक हिंदी प्रदर्शनियों के आयोजन, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, “भारत संहिता” के मुफ्त वितरण और अन्‍य कार्यालयों के प्रयोग के लिए अन्‍य प्रकाशनों पर विचार किया गया था । प्रतिवर्ष सितंबर माह में “हिंदी पखवाड़ा” भी आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्‍न प्रतियोगितात्मक क्रियाकलाप जैसे कि हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्‍पण और प्रारुपण, हिंदी टंकण, श्रुतलेखन, काव्‍य पाठ, आशु संभाषण आदि राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है ।

जहां तक कि राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्‍वयन को पूरा करने का संबंध है यह एक सतत प्रक्रिया है । इन कार्यक्रमों के अधीन चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, 25 प्रतिशत खंडों का निरीक्षण किया गया था, 9 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामनिर्दिष्‍ट किया गया था, 6 टंकक हिंदी टंकण के लिए नामनिर्दिष्‍ट किए गए थे, सभी खंडों में प्रशासनिक शब्‍दावली वितरित की गई थी, 72 प्रतिशत से अधिक हिंदी पत्राचार किया जाता है और इलैक्‍ट्रानिक उपयोजन जिसके अंतर्गत कंप्‍यूटर भी है, द्विभाषीय है । 41 प्रतिशत से अधिक फाइलों में टिप्‍पण और प्रारुपण हिंदी में किया जाता है । नाम की प्‍लेट और रबर स्‍टांप द्विभाषीय प्ररुप में तैयार किए जाते हैं । राजभाषा क्रियान्‍वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठक प्रत्‍येक त्रैमास में नियमित रुप से आयोजित की जाती है ।

**(ख) :** संविधान के अनुच्‍छेद 348 (2) के और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसरण में हिंदी भाषा का प्रयोग राजस्‍थान, मध्‍यप्रदेश, उत्‍तरप्रदेश और बिहार राज्‍यों के उच्‍च न्‍यायालयों की कार्यवाहियों में प्राधिकृत किया गया है ।

मद्रास, कर्नाटक, छत्‍तीसगढ़ और गुजरात उच्‍च न्‍यायालयों में क्रमश: तमिल, कन्‍नड़, हिंदी और गुजराती भाषाओं के प्रयोग से संबंधित प्रस्‍ताव मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21/5/1965 के विनिश्‍चय के अनुसरण में भारत के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति को अग्रेषित किया गया था जो उच्‍च न्‍यायालय में अंग्रेजी से भिन्‍न भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्‍ताव पर भारत के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति की सहमति प्राप्‍त करना अपेक्षित हैं ।

भारत के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति ने तारीख 18 जनवरी, 2016 को यह संप्रेषित किया है कि गहन विचारविमर्श के पश्‍चात पूर्ण न्‍यायालय प्रस्‍तावों के पक्ष में नहीं था । उच्‍चतम न्‍यायालय के पूर्ण न्‍यायालय विनिश्‍चय को ध्यान में रखते हूए इस मामले में कोई आगे कार्यवाही नहीं की गई है ।

जहां तक कि अधीनस्‍थ न्‍यायालय में राजभाषा के प्रयोग का संबंध है भारत के संविधान के अधीन राज्‍यों में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण संबंध उच्‍च न्‍यायालयों और संबंधित राज्‍य सरकारों में निहित है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*